न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–डॉ0सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 59/2021 तारीख रजू 19.02.2021

जगदीश पुत्र सूरजमल जाति कहार निवासी खण्डार। ——— अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार खण्डार । ———— रेस्पो0

निर्णय दिनांक 02/03/2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 01/2021 मे पारित आदेश दिनांक 22.01.2021 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम जयसिंहपुरा के आराजी खसरा नम्बर 358/10 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन चरागाह पर संवत 2077 रबी, मे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण गेहूॅ व मटर की फसल काश्त करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। यह है कि अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 358/10 स्थित ग्राम जयसिंहपुरा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुऐ तीन माह का सिविल कारावास एवं पैलन्ट तथा बेदखली से दण्डित किया है, उक्त निर्णय रूहे दर मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व तथ्यों से परे होने से निरस्तनीय है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एक मात्र पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट पर पारित किया गया है, अपीलान्ट को हल्का पटवारी से जिरह का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, दौराने सुनवायी अपीलान्ट द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया था कि गलत रूप से अपीलान्ट को 91 एल.आर.एक्ट को नोटिस जारी किया है। उक्त आराजी को लेकर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया जो आज भी अस्तित्व में है, तथा अपील विचाराधीन है। मौके पर कब्जे की कोई जॉच नहीं की है इन बातो पर गौर किये बिना ही उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय खिलाफ कानून जाकर पारित किया है , इस कारण भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पश्चावर्ती अतिक्रमी होने का कोई रिकार्ड नहीं है ना ही पूर्व में पारित बेदखली है, तथा पूर्व में पारित भौतिक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.10 13:51:52 IST
Reason: SelfAttested

बेदखली के वक्त उपस्थित गवाहों के बयान रिकार्ड पर नहीं लिये है इस कारण भी गलत रूप से अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है जो खिलाफ कानूनी होने से निरस्तनीय है। यह है कि अपीलान्ट को साक्ष्य सुनवाई का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है इस कारण भी अधिनस्थ न्यायालय को निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। अन्त मे वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.01.2021 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसपर अपीलान्ट ने स्वंय ने नोटिस की तामील प्राप्त की जिसके हस्ताक्षर नोटिस की पुश्त पर मौजूद है। अपीालान्ट बावजूद सूचना अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 21.01.2021 को उपस्थित हुआ। अतः वकील अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर नही दिया गया है मान्य नही है। वकील अपीलान्ट ने उक्त विवादित भूमि से संबंधित एक अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर विचाराधीन होना तथा उक्त अपील में स्थगन आदेश जारी होना बताया गया है किन्तु स्थगन होने एवं नहीं होने बाबत कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है जिससे साबित हो सके कि उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से कोई स्थगन जारी हुआ हो। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है। अपीलान्ट द्वारा बहस में पश्चातवर्ती के सबूत पत्रावली में सलंग्न नहीं होने के कथन से मै सहमत हूँ। मेरी राय में अपील अपीलान्ट आशिंक रूप से स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे बेदखली,शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्ट को दिये गये 90 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02/03/2021 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्फतर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.10 13:51:52 IST
Reason: SelfAttested